11. समाज कल्याण के क्षेत्र में :–

(क) ग्रामीण आश्रय की स्कीमों का क्रियान्वयन;

(ख) बदहाल भिखारियों की देख रेख;

(ग) समाज कल्याण के स्वैच्छिक सस्थानों को प्रायोजित करना और उनकी गतिविधियों का समन्वय तथा सहायता;

(घ) नशे की लत के खिलाफ प्रचार तथा प्रतिबन्ध लगाना ।

12. राहत के क्षेत्र में:–

छोटे तथा बढ़े स्तर के बाढ़, अग्नि दुर्घटना, महामारी तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं में तुरन्त राहत प्रदान करना ।

13. सांख्यिकीय संकलन के क्षेत्र में :–

ग्राम परिषद तथा द्वीप परिषद अथवा प्रशासक द्वारा आवश्यक सांख्यिकीय का संकलन तथा समन्वयन ।

14. ट्रस्ट के क्षेत्र में :–

द्वीप परिषद निधि से चलाए जाने वाले किसी भी कार्यक्रमों के लिए ट्रस्ट का प्रबन्धन ।

15. ग्रामीण आश्रय के क्षेत्र में :–

ग्रामवासियों के सहयोग से गाँव के स्थलों का विकास तथा ग्रामीण आश्रय की योजना तैयार करना ।

16. सूचना के क्षेत्र में :–

(क) सामूहिक रूप से रेडियो सुनने का कार्यक्रम;

(ख) प्रदर्शनियों का आयोजन;

(ग) प्रकाशन ।

प्रतिभा देवसिंह पाटिल
राष्ट्रपति

वी. के. भासिन
सचिव, भारत सरकार